सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025/50 दर्ज तिथिः– 06.02.2025

1. समदा पुत्री हरजी पत्नी हबताराम
   कौम सुथार साकिन डेडावास जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. आसु पुत्र हरजी
2. मेगा पुत्र हरजी फौत के कायम मुकाम
   2/1 नेना पुत्र मेगा
   2/2 नरसी पुत्र मेगा
   2/3 इन्द्रा पत्नी मेगा
   2/4 बबरी पुत्री मेगा
   2/5 देमा पुत्री मेगा
   2/6 अमियो पुत्री मेगा
3. माहिंगा पुत्र हरजी
4. रिडमल पुत्र हरजी
5. सालु पुत्र हरजी
6. हदा पुत्र नगा जाति सुथार
7. धनाराम पुत्र भीमाराम
8. धर्माराम पुत्र भीमाराम
9. पदमा पुत्र सवा
10. मालू पत्नी रामा फौत के वारिसान प्रतिवादी संख्या 11 तथा 14
11. लाधा पुत्र रामा
12. लीलाराम पुत्र भीमाराम
13. वरजोंगा पुत्र उका
14. वेला पुत्र रामा
15. सोना पुत्र होती
16. हीरा पुत्र सवा
    जाति कलबी निवासी डेडावास का गोलिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

17. मैनेजर एस बी आई बैंक शाखा गुड़ामालानी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:38:26 IST
Reason: SelfAttested

18. मैनेजर बी सी सी बी बैंक शाखा गुड़ामालानी।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी।

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री सुखराम विश्नोई
प्रतिवादीः— श्री डालुराम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी हाल खसरा संख्या 402/1.5702 है0, 421/4.4758 है0 मौजा डेडावास जागीर, खसरा संख्या 216/0.8822 है0, 217/0.0324 है0, 218/5.0828 है0, 219/1.4650 है0 मौजा डेडावास का गोलिया, खसरा संख्या 291/4.0954 है0, 456/6.2241 है0, 287/6.6692 है0 मौजा डेडावास का गोलिया तथा खसरा संख्या 26/10.8132 है0 मौजा डेडावास चारणान तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी वादीनी के पूर्वज हरजी पुत्र गेना की खातेदारी आराजी थी। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 हिन्दू होने के कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 से शासित होते हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के पूर्वज हरजी पुत्र गेना के फौत होने पर उनके चार पुत्र वारिस आसुराम पुत्र हरजी, मेगाराम पुत्र हरजी, माहिंगा पुत्र हरजी एवं रिड़मल पुत्र हरजी तथा तीन पुत्रियां सालु पुत्री हरजी, कसुम्बी पुत्री हरजी एवं समदा पुत्री हरजी वारिस हैं। वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 संख्या 05 पूर्व पुरूष हरजी पुत्र गेना के पुत्र व पुत्रियां हैं। इस प्रकार उक्त खातेदारी आराजी पैतृक आराजी है। हरजी पुत्र गेना की मृत्यु के पश्चात विरासत में मुतनाजा आराजी वादीनी एवं हरजी पुत्र गेना के अन्य वारिसान को समान रूप से प्राप्त होनी थी। परंतु प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 द्वारा गलत तरीके से मुतनाजा आराजी का नामांतरकरण अपने नाम करवा लिया। वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिन्दू के अंतर्गत आने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित रखते हैं। इसी अनुसार वादीनी वर्तमान में मौके पर काबिज काश्त है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 उक्त आराजी को अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर वादीनी को बेदखल करने पर आमादा है। अतः उक्त आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीनी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 को वादीनी की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में सभी प्रतिवादीगण संख्या 01, 2/1, 2/2, 03 ता 05 जरिये

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:38:26 IST
Reason: SelfAttested

असालतन–वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व में दिनांक 22.07.2022 को वादीनी द्वारा एक वाद पत्र संख्या 79/2022 उनवान समदा बनाम आसु वगैरह वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था। हस्तगत वाद व वाद संख्या 79/2022 समान आराजी, समान शीर्षक, समान पक्षकारान के हैं। पूर्ववर्ती वाद संख्या 79/2022 में वादीनी द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर अपने हकों का त्याग करते हुए वाद विड्रो करने का निवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा वादीनी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 10.08.2022 को वाद संख्या 79/2022 जरिये विड्रो खारिज किया गया। साथ ही वादीनी द्वारा पूर्व वाद संख्या 79/2022 एवं हस्तगत वाद में समान प्रकार की परिस्थिति का उल्लेख किया गया है। चूंकि वादीनी द्वारा हस्तगत वाद के समान वाद संख्या 79/2022 में अपने हकों का त्याग न्यायालय में उपस्थित होकर कर दिया गया है। जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए जरिये विड्रो खारिज किया गया है। प्रकरण में वादीनी द्वारा पूर्व वाद संख्या 79/2022 एवं हस्तगत प्रकरण समान विषयवस्तु के अलग–अलग समय पर प्रस्तुत किये गये हैं। जिनमें वादकारण प्रकट होने के समय का भी अलग–अलग प्रस्तुतीकरण किया है। अतः हस्तगत वाद के समान वाद संख्या 79/2022 में वादीनी द्वारा विड्रो करने एवं समान विषय वस्तु के वाद का पूर्व में जरिये विड्रो खारिज होने से हस्तगत वाद में वादीनी मुतनाजा आराजी में खातेदारी अधिकार घोषित करवाने की अधिकारिणी नहीं होने के कारण वादीनी का उक्त वादपत्र काबिल–ए–खारिज होने से खारिज फरमाया जावे।

3. प्रकरण में वादीनी द्वारा प्रतिवादीगण के उक्त कथन पर राजीनामा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादीनी का उक्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीनी द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने भाई प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के पक्ष में त्याग कर दिया हैं। वर्तमान में वादीनी अपने ससुराल में रहती है। आगे निवेदन किया कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के पिता हरजीराम द्वारा अपने जीवनकाल में मुतनाजा आराजी का मौके पर बंटवारा कर अपने नाम की सम्पूर्ण भूमि अपने पुत्रों प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 को विभाजित कर प्रदान कर दी थी। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के पिता हरजीराम द्वारा अपने जीवनकाल में मुतनाजा आराजी के किये गये विभाजन के अनुसार ही प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 तब से आदिनांक तक काबिज काश्त हैं। साथ ही निवेदन किया कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के मध्य राजीनामा होने से वादीनी हस्तगत वाद को भविष्य में किसी प्रकार का दावा आदि पेश नहीं करने की शर्त के साथ खारिज करवाना चाहती है। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद का कोई बिन्दु पत्रावली पर नहीं होने के कारण प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–15 नियम–01 में प्रावधान बनाये गये हैं। जिसका उद्धरण इस प्रकार हैः–

ORDER XV

Disposal of the Suit at the first hearing

1. Parties not at issue.—

(1) Where at the first hearing of a suit it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact, the Court may at once pronounce judgment.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:38:26 IST
Reason: SelfAttested

4. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया गया कि वादीनी का उक्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। साथ ही वादीनी द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने भाई प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के पक्ष में त्याग कर दिया हैं। वर्तमान में वादीनी अपने ससुराल में रहती है। आगे कथन किया कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के पिता हरजीराम द्वारा अपने जीवनकाल में मुतनाजा आराजी का मौके पर बंटवारा कर अपने नाम की सम्पूर्ण भूमि अपने पुत्रों प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 को विभाजित कर प्रदान कर दी थी। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के पिता हरजीराम द्वारा अपने जीवनकाल में मुतनाजा आराजी के किये गये विभाजन के अनुसार ही प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 तब से आदिनांक तक काबिज होकर निर्बाध रूप से काश्त करते आ रहे हैं। अंत में विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया गया कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के मध्य राजीनामा होने से वादीनी का वाद भविष्य में किसी प्रकार का दावा आदि पेश नहीं करने की शर्त के साथ खारिज फरमाया जावे। दौरान–ए–बहस अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया कि हस्तगत वाद के समान पूर्व में दिनांक 22.07.2022 को वादीनी द्वारा एक वाद पत्र संख्या 79/2022 उनवान समदा बनाम आसु वगैरह वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का हाजा न्यायालय में पेश किया गया था। हस्तगत वाद व वाद संख्या 79/2022 समान आराजी, समान शीर्षक, समान पक्षकारान के हैं। पूर्ववर्ती वाद संख्या 79/2022 में वादीनी द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर अपने हकों का त्याग करते हुए वाद विड्रो करने का निवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा वादीनी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 10.08.2022 को वाद संख्या 79/2022 को जरिये विड्रो खारिज किया था। साथ ही वादीनी द्वारा पूर्व वाद संख्या 79/2022 एवं हस्तगत वाद में समान प्रकार की परिस्थिति का उल्लेख किया गया है। चूंकि वादीनी द्वारा हस्तगत वाद के समान वाद संख्या 79/2022 में अपने हकों का त्याग न्यायालय में उपस्थित होकर कर दिया गया है। जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए जरिये विड्रो खारिज किया गया है। प्रकरण में वादीनी द्वारा पूर्व वाद संख्या 79/2022 एवं हस्तगत प्रकरण समान विषयवस्तु के अलग–अलग समय पर प्रस्तुत किये गये हैं। जिनमें वादकारण प्रकट होने के समय का भी अलग–अलग प्रस्तुतीकरण किया है। अतः हस्तगत वाद के समान वाद संख्या 79/2022 में वादीनी द्वारा विड्रो करने एवं समान विषय वस्तु के वाद का पूर्व में जरिये विड्रो खारिज होने से हस्तगत वाद में वादीनी मुतनाजा आराजी में खातेदारी अधिकार घोषित करवाने की अधिकारिणी नहीं होने के कारण वादीनी का उक्त वादपत्र काबिल–ए–खारिज होने से खारिज फरमाया जावे।

5. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा पूर्व में विड्रो किये गये वाद संख्या 79/2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर समान प्रकृति के वाद का पूर्व में जरिये विड्रो खारिज होने का उल्लेख किया है। साथ ही अधिवक्ता वादीनी द्वारा वादीनी को उपस्थित न्यायालय कर पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने एवं वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के पिता हरजीराम द्वारा अपने जीवनकाल में मुतनाजा आराजी का विभाजन प्रतिवादी संख्या 01 ता 05

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:38:26 IST
Reason: SelfAttested

के पक्ष में किये जाने के से वादीनी द्वारा उक्त वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 79/2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीनी द्वारा हस्तगत वाद के समान पूर्व में वाद संख्या 79/2022 प्रस्तुत किया गया था। जिसको वादीनी द्वारा आपसी सहमति एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर विड्रो किया था। हस्तगत प्रकरण में वादीनी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि वादीनी का मुतनाजा आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है तथा वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के पिता हरजीराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को मुतनाजा आराजी का विभाजन कर काबिज किया था। उसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 वर्तमान में काबिज काश्त हैं। वर्तमान में वादीनी द्वारा पूर्व वाद संख्या 79/2022 के समान तथ्यों को अंकित करते हुए हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण होने के पश्चात् पुनः वादीनी द्वारा हस्तगत वाद के संबंध में राजीनामा होने एवं वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। वादीनी के उक्त व्यवहार से प्रतीत होता है कि वादीनी द्वारा प्रतिवादीगण को निहायत परेशान करने की नियत से बार–बार एक ही विषयवस्तु के दो बार वाद कारण प्रस्तुत किये गये हैं।

8. इस प्रकार प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादीनी द्वारा एक ही विषयवस्तु के दो वादपत्र प्रस्तुत किये गये हैं। जिनमें दोनों बार वादकारण प्रकट होने की अवधि का भी भिन्न–भिन्न समय के बारे में उल्लेख किया है। प्रकरण में वादीनी द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद संख्या 79/2022 जरिये विड्रो खारिज होने एवं पूर्व वाद संख्या 79/2022 के हस्तगत वाद के समान विषयवस्तु होना पत्रावली के अवलोकन से प्रमाणित है। जिसमें वादीनी द्वारा अपने हकों का परित्याग किया गया है। साथ ही वादीनी द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर हस्तगत वाद भविष्य में किसी प्रकार का दावा आदि पेश नहीं करने की शर्त के साथ खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया गया है। उक्त विवेचन के आधार पर वादीनी का वादपत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 21.04.2025 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:38:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025/50 दर्ज तिथिः– 06.02.2025

1. समदा पुत्री हरजी पत्नी हबताराम
   कौम सुथार साकिन डेडावास जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. आसु पुत्र हरजी
2. मेगा पुत्र हरजी फौत के कायम मुकाम
   2/1 नेना पुत्र मेगा
   2/2 नरसी पुत्र मेगा
   2/3 इन्द्रा पत्नी मेगा
   2/4 बबरी पुत्री मेगा
   2/5 देमा पुत्री मेगा
   2/6 अमियो पुत्री मेगा
3. माहिंगा पुत्र हरजी
4. रिडमल पुत्र हरजी
5. सालु पुत्र हरजी
6. हदा पुत्र नगा जाति सुथार
7. धनाराम पुत्र भीमाराम
8. धर्माराम पुत्र भीमाराम
9. पदमा पुत्र सवा
10. मालू पत्नी रामा फौत के वारिसान प्रतिवादी संख्या 11 तथा 14
11. लाधा पुत्र रामा
12. लीलाराम पुत्र भीमाराम
13. वरजोंगा पुत्र उका
14. वेला पुत्र रामा
15. सोना पुत्र होती
16. हीरा पुत्र सवा
    जाति कलबी निवासी डेडावास का गोलिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

17. मैनेजर एस बी आई बैंक शाखा गुड़ामालानी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:38:26 IST
Reason: SelfAttested

18. मैनेजर बी सी सी बी बैंक शाखा गुड़ामालानी।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी।

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री सुखराम विश्नोई
प्रतिवादीः— श्री डालुराम

—:पर्चा डिक्रीः—

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 21.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:38:26 IST
Reason: SelfAttested